न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

(1) प्रकरण संख्या 11/2021 (उदयपुर डिक्री)

1. श्रीमती लीला बाई पुत्री डालु जी पत्नी देवीलाल डांगी, निवासी पटेल छात्रावास के पास, शोभागपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती तुलसी बाई पुत्री डालु जी पत्नी रामलाल डांगी, निवासी थूर (घाटी), तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. शैलेष पिता श्याम सुन्दर जी माहेश्वरी, निवासी 7/3687, विनायक लेन, अम्बे नगर, सेक्टर नंबर 14, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. गोटूलाल तिपा सोहनलाल जी जैन, निवासी 17, बनेड़ा हाउस, उदयपुर।
3. राजेन्द्र कुमार पिता शंकरलाल जी बड़ाला, निवासी सापेटिया, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. भरत पिता चन्द्र प्रकाश जी धन्नावत, निवासी सायरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

(2) प्रकरण संख्या 12/2021 (उदयपुर डिक्री)

1. श्रीमती लीला बाई पुत्री डालु जी पत्नी देवीलाल डांगी, निवासी पटेल छात्रावास के पास, शोभागपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती तुलसी बाई पुत्री डालु जी पत्नी रामलाल डांगी, निवासी थूर (घाटी), तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. शैलेष पिता श्याम सुन्दर जी माहेश्वरी, निवासी 7/3687, विनायक लेन, अम्बे नगर, सेक्टर नंबर 14, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. गोटूलाल तिपा सोहनलाल जी जैन, निवासी 17, बनेड़ा हाउस, उदयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:18:36 IST
Reason: SelfAttested

3. राजेन्द्र कुमार पिता शंकरलाल जी बड़ाला, निवासी सापेटिया, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. भरत पिता चन्द्र प्रकाश जी धन्नावत, निवासी सायरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

उपस्थित :– 1. श्री भूरालाल डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री रोशनलाल जैन अभिभाषक रे.सं. 2 से 4
3. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

अपीलें अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान का.अ. 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा प्रारम्भिक डिक्री दि0 05.03.2010 अंतिम डिक्री दिनांक 19.07.2010 प्रकरण सं. 147 / 2009

———::———

निर्णय दिनांक 14–01–2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम लखावली में आराजी नंबर 8133, 8138, 8141, 8142 कुल किता 4 रकबा 0.3575 हैक्टर भूमि स्थित है, जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी होकर संयुक्त रूप से काबिज चले आ रहे हैं। उक्त भूमि में वादी का 2/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/3 हिस्सा है। वादी अपनी भूमि का बंटवारा करा अलग कब्जा प्राप्त करना चाहता है। अतः विवादित आराजियात का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अनुपस्थित रहने से अधीनस्थ न्यायालय ने वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर दिनांक 05–03–2010 को वादी का वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:18:36 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 19—07—2010 को अंतिम डिक्री जारी की।

उक्त प्रारम्भिक डिक्री से दिनांक 05—03—2010 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा अपील संख्या 12/2021 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 19—07—2010 के विरूद्ध अपील संख्या 11/2021 इस न्यायालय में दिनांक 16—02—2021 को प्रस्तुत की गयी हैं।

दोनों अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री भूरालाल डांगी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दोनों ही अपीलें अधीनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 147/2009 में पारित प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम डिक्री के विरूद्ध होने तथा दोनों अपीलों में विवादित आराजियात व पक्षकारान समान होने से दोनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जा रहा है। निर्णय की एक—एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

दोनों अपीलें विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री की जानकारी अपीलान्टगण को नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की प्रथम बार जानकारी दिनांक 21—12—2021 को नकल प्राप्त करने पर हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार फरमायी जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि दोनों अपीलें 10 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जिसका कोई युक्ति—युक्त कारण अपीलान्टगण ने नहीं बताया है। थी। अतः अपीलें बेरून मयाद होने से इसी स्तर पर खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:18:36 IST
Reason: SelfAttested

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलान्टगण को पूर्व में होने की कोई साक्ष्य नहीं है। अतः न्यायहित में प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगण कण्डोन किया जाकर अपीलें श्रवणार्थ ग्रहण की जाती हैं।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण को वाद प्रस्तुत होने की जानकारी नहीं हो सकी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें बिना सुने एकपक्षीय डिक्री जारी कर दी, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलान्टगण इस भरोसे थे कि भूमि संयुक्त खाते में चली आ रही है तथा कोई विभाजन नहीं हुआ है। रेस्पोन्डेन्टगण ने मौके पर निर्माण सामग्री इकट्ठी कर अपीलान्टगण के कब्जे वाली भूमि को मिलाते हुए हाईवे की तरफ बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करना शुरू कर दिया, तब उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अपीलान्टगण की सम्यक रूप से तामील नहीं करवायी गयी है तथा विभाजन में नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। अतः अपीलें स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

उक्त बहस का खण्डन करने हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्टगण की प्रोपर तामील के बावजूद उनके अनुपस्थित रहने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय व डिक्री जारी की गयी है तथा विभाजन मीट्स एण्ड बाउण्ड्स किया गया है। अतः दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23—12—2009 अनुसार अपीलान्टगण/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाकर अपीलान्टगण को बिना सुने दिनांक 05—03—2010 को एकपक्षीय प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत है तथा उक्त प्रारम्भिक डिक्री की

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:18:36 IST
Reason: SelfAttested

पालना में जो फर्द बंटवारा तैयार किया गया है, वह भी अपीलान्टगण को बिना सूचना पत्र जारी किये उनकी अनुपस्थिति में तैयार किया गया है तथा विभाजन नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त फर्द बंटवारे के आधार पर जारी अंतिम डिक्री भी त्रुटि है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 05–03–2010 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19–07–2010 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्टगण को विधिवत नोटिस जारी कर एवं सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देकर विधि के आलोक में साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12–03–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 14–01–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:18:36 IST
Reason: SelfAttested